



Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited (A Government of Chhattisgarh Undertaking)

1st Floor, Udyog Bhawan, Ring Road No.1, Telibandha, Raipur(C.G.) – 492006
CIN : U45203CT1981SG001853, PAN : AABCM6288N, GST Regn. No. 22AABCM6288N5ZY
Phone : 0771-6621000 Fax : 0771-2583794
Website : www.csidc.in, Email address:csidc.cg@nic.in,csidc_raipur@yahoo.com

प्रथम आमंत्रण, अल्पकालीन निविदा सूचना (मैन्यूअल पद्धति)

रायपुर, दिनांक 19/10/2022

निविदा क्रमांक 19/सीएसआईडीसी/ई.ई.-1/संभाग-1/2022-23/

मुहरबंद निविदाये फार्म 'ए' (प्रतिशत दर) पर वांछित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली 'ई-पंजीयन' के अन्तर्गत पंजीकृत 'अ' वर्ग विद्युत लाईसेंसधारी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु दिनांक 11/11/2022 अपराह्न 3.00 बजे तक कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल, रिंग रोड नं०-01 तेलीबांधा, रायपुर में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

स. क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत रु.	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदाकार की श्रेणी	निविदा का प्रकार	दर अनुसूची (एस.ओ.आर)
1	Internal Electrification of Branch Office Tifra Bilaspur (C.G.)	2.23 लाख	2,500/-	885/-	01 माह	द वर्ग एवं इससे ऊपर	प्रतिशत दर	SOR for Electrical works w.e.f 01.06.2020 issued by Engineer-in-chief C.G. PWD Raipur (C.G.)

शर्तें :-

- कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के कार्यपालन अभियंता संभाग-1 से कार्यालयीन अवधि में निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य नगद मुख्यालय उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा रायपुर में भुगतान कर दिनांक 10/11/2022 को अपराह्न 2.00 बजे तक तकनीकी कार्यालय कार्यपालन अभियंता संभाग-1 सीएसआईडीसी, उद्योग भवन, द्वितीय तल रिंग रोड नम्बर 01, तेलीबांधा, रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त कार्य में उपयोग की जाने वाली मीण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ही अंतिम दायक का भुगतान किया जावेगा।
- निविदा आवेदन क्रय करने हेतु जीवित पंजीयन, जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र, 'अ' वर्ग विद्युत लाईसेंस, अंतिम 03 वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं बैंक सालवेन्सी की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत उपरान्त सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पंजीयन कराने के पश्चात ही कार्यदेश दिया जाएगा, साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निर्माण कार्य (Construction Works) पर 1 प्रतिशत उपकर (शेष) देय होगा। देयको के भुगतान में से उक्त राशि काटी जावेगी एवं सर्विस टैक्स लागू होने पर तदानुसार कटौती की जावेगी।
- अमानत राशि किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक का सावधि जमा रसीद (FDR) जो कि, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, रायपुर (Managing Director, CSIDC, Raipur) के पक्ष में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से लिफाफे में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- कार्य में स्थल आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात रिपेयरिंग कार्य सम्पादन किया जाना होगा, जिसका मात्रा में वृद्धि/कम हो सकता है।
- उल्लेखित कार्य हेतु कार्य पूर्ण करने की अवधि से 05 वर्ष (60 माह) तक संपादित कार्य का संभरण तथा परम्पत कार्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से किया जाना है। जिसके लिये कार्य की संपूर्ण लागत की 05 प्रतिशत राशि Performance Guarantee के रूप में रोकी जावेगी, तथा वह राशि सफलतापूर्वक आवश्यक संभरण तथा परम्पत कार्य पूर्ण किये जाने पर ही विमुक्त की जावेगी।
- कार्य में स्थल आवश्यकतानुसार नया सामग्री उपयोग में होने पर उक्त सामग्री का एस.ओ.आर/बजार दर से निर्धारण पृथक से किया जाकर भुगतान देय होगा।
- कार्यालय आयुक्त, राज्य कर छत्तीसगढ़, वाणिज्यिक कर विभाग-जीएसटी भवन, कॅपिटल काम्प्लेक्स, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर का महत्वपूर्ण निर्देश क्र. 95/2020 पत्र क्र. आ.वा.क./तक/2020/7754 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 02.12.2020 के आदेशानुसार :-
 - ठेकेदार/सप्लायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व जीएसटी विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (Tax Clearance Certificate) अथवा पूर्व देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
 - चूंकि वर्तमान में क्रियाशील सप्लायर्स आर्डर/वर्क कॉन्ट्रैक्ट की निविदा में उपरोक्त शर्त नहीं थी, इसलिए One Time सत्यापन किया जाना उचित होगा कि जिस जी० एस० टी० पंजीयन पर TDS कट रहा है वो जीवित है अथवा नहीं। यह सत्यापन निकटस्थ जी० एस० टी० वृत्त कार्यालय से कराया जा सकता है। साथ ही अंतिम भुगतान या धरोहर राशि की विमुक्ति के पूर्व, देय कर का शासकीय कोष में जमा कराए जाने का सत्यापन कराया जाना भी उचित होगा।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छ.ग. द्वारा जारी आदेश क्र. 2336/खनिज/रायल्टी/20 दिनांक 04.03.2020 के तहत शासन के निर्देशानुसार विना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के किसी भी ठेकेदार का अंतिम दायक का भुगतान न किया जावे जिससे शासन को राजस्व की हानि न हो, तदानुसार विना रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र के अंतिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- Valid registration of GST and Proof of upto date GST filed return.**
- All the document to be submitted shall be duly clean readable otherwise tender will not be accepted.**
- निविदाये निगम (संभाग-01) की निविदा पेट्टी में डालनी होगी। डाक द्वारा प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा प्रकाशन में टंकन आदि की त्रुटि होने पर मूल अभिलेख ही मान्य होंगे।
- निगम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड के अनुसार ही निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- निविदा के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई आवश्यक हो तो) कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, संभाग-01 सीएसआईडीसी, द्वितीय तल, उद्योग भवन रिंग रोड क्र-1 तेलीबांधा रायपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
- कोई भी या सभी निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

कार्यपालन अभियंता, संभाग-1